

प्रेस नोट थाना चौरीचौरा दिनांक 03-09-2021

दुष्कर्म के आरोप मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2021 को उ0नि0 वंश बहादुर यादव मय हमराह का0 ओमप्रकाश यादव, का0 विपिन यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 319/21 धारा 376,506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त भरतपुर मोड पर कही जाने की फिराक मे कही खड़ा है यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर बताये हुए स्थान पर जा रहे थे कि कुछ दूरी से मुखबिर द्वारा इशारा करके वाहन से उतर कर चला गया। खड़े व्यक्ति के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालो को देखकर घबराने लगा कि एकबारगी घेरघार हम पुलिस लोगो द्वारा पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति नाम पता पूछा गया अपना नाम रविन्द्र यादव पुत्र लालजी यादव ग्राम भरतपुर नौका टोला थाना चौरीचौरा गोरखपुर को कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब **11.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को उचित माध्यम से दिया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रविन्द्र यादव पुत्र लालजी यादव ग्राम भरतपुर नौका टोला थाना चौरीचौरा गोरखपुर

पंजीकृत मुकदमा -

मु0अ0सं0 319/21 धारा 376,506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना चौरीचौरा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार शुक्ला
2. उ0नि0 वंश बहादुर यादव
3. का0 ओमप्रकाश यादव
4. का0 विपिन यादव